

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)
"अधिसूचना"

दिनांक 24-02-2023

अधिसूचना सं०-जी०सां०-07/2022-232/जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) से संबंधित पूर्ववत संरचना में सरलीकरण करते हुए स्तम्भ '2' में अंकित निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके पदनाम के सम्मुख स्तम्भ '4' में उल्लिखित क्षेत्र के लिए पदेन रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) नियुक्त किया जाता है :-

क्रमांक	पदाधिकारी	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन पदेन पदनाम	अधिकार क्षेत्र
1	2	3	4
1	सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी	रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)	नगर निगम/नगर परिषद्
2	प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी	रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)	नगर पंचायत
3	प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी	रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)	प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र के लिए

2. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य संस्थानों से संबंधित रजिस्ट्रीकरण इकाईयों में 30 दिनों तक जन्म और मृत्यु की घटित घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण हेतु स्तम्भ '2' में अंकित निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके पदनाम के सम्मुख स्तम्भ '4' में उल्लिखित क्षेत्र के लिए पदेन रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) नियुक्त किया जाता है :-

क्रमांक	पदाधिकारी	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन पदेन पदनाम	अधिकार क्षेत्र
1	2	3	4
1	अधीक्षक/उपाधीक्षक	रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)	चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सदर अस्पताल/अनुमंडलीय/रेफरल अस्पताल
2	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

3. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 4 की उपधारा (2) एवं धारा 7 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 दिनों तक जन्म और मृत्यु की घटित घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण हेतु स्तम्भ '2' में अंकित निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके पदनाम के सम्मुख स्तम्भ '4' में उल्लिखित क्षेत्र के लिए संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) के नियंत्रणाधीन, पदेन उप-रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) नियुक्त किया जाता है :-

क्रमांक	पदाधिकारी	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन पदेन पदनाम	अधिकार क्षेत्र
1	2	3	4
1	कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक	उप-रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)	प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र के लिए
2	संकलक/कम्पाईलर	उप-रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)	नगर निगम/नगर परिषद्